

भारत सरकार Government of India
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र Bhabha Atomic Research Centre
विरल पदार्थ परियोजना Rare Materials Project
(मैसूरु Mysuru)

विज्ञापन सं. **ADVERTISEMENT NO.RE-MYS-1/2022**

(कुल पदों की संख्या Total No. of positions - 04)

केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनः विनियोजन
विपप/भापअकें, मैसूरु में परामर्शदाताओं हेतु आवेदनों का आमंत्रण
Re-Engagement of Retired Central Government Employees
Invitation of applications for Consultants in RMP/BARC, Mysuru

(विभाग से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मचारी ही केवल आवेदन करने के पात्र होंगे ।
Only employees retired on superannuation from the Department are eligible to apply)

- 1) विपप/भापअकें, मैसूरु में परामर्शदाता के रूप में विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए (अनुलग्नक-I) संदर्भ की निबंधनों (टीओआर) में दर्शाये अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । Applications are invited for performing various duties as Consultants in RMP/BARC, Mysuru as indicated in the Terms of Reference (ToR) (**Annexure-I**).
- 2) सेवानिवृत्त कर्मचारी जो टीओआर में दर्शाये अनुसार कार्य करने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-II) में पासपोर्ट आकार की फोटो विधिवत् चिपकाकर और पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं । Retired employees who are willing to perform the work indicated in the ToR can submitted their applications in the prescribed format (**Annexure-II**) along with the passport size photograph duly affixed and a copy of the Pension Payment Order.
- 3) प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को कार्यारंभ करने की तिथि तथा कार्यकाल की अवधि के बारे में सूचित किया जाएगा । The applications received will be scrutinized by the Competent Authority and the selected candidates will be communicated the date of commencement of work and the period of tenure.
- 4) **पात्रता Eligibility:**
 - 4.1 आवेदक को विभाग से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुआ होना चाहिए । Applicant should be retired from the Department on superannuation.
 - 4.2 आवेदक को टीओआर में दर्शाये अनुसार अपेक्षित अनुभव और सरकारी नियमों एवं विनयमों का ज्ञान होना चाहिए । Applicant should have requisite experience and knowledge of government rules and regulations as indicated in the ToR.

- 4.3 आवेदक को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए और पुनः विनियोजन के समय चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । Applicant should be medically fit and required to submit Medical Fitness Certificate at the time of the engagement.
- 4.4 प्रारंभ में पुनः विनियोजन की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा आगे एक और वर्ष या 64 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो विस्तार योग्य होगा ।
The period of engagement shall be initially for one year and further extendable for one more year or upto the date of attaining the age of 64 years, whichever is earlier.
- 4.5 पुनःविनियोजन पूर्ण रूप से अनुबंध के आधार पर होगी । विभाग द्वारा किसी भी समय और बिना कोई कारण बताये पुनःविनियोजन समाप्त की जा सकती है । The re-engagement shall be purely on contract basis. Re-engagement can be terminated at any time by department and without assigning any reason.

5) **हकदारियाँ Entitlements:**

- 5.1 पुनःविनियोजन पर अधिकारी अंतिम आहरित वेतन का 50% आहरण करने का हकदार होगा ।
The official on re-engagement is entitled to draw 50% of the last pay drawn.
- 5.2 पुनःविनियोजन अधिकारियों लिए अनुपातिक आधार पर एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिनों की छुट्टी स्वीकार्य होगी । 12 days of leave in calendar year on pro-rata basis is admissible for re-engaged officials.
- 5.3 यदि कार्य के संदर्भ में मैसूरु से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी ग्रेड में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को देय टीए, डीए जिससे अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ है, स्वीकार्य होगा । If required to travel outside Mysuru in connection with the work, TA, DA admissible to regular employees working in the same grade from which the official has retired, will be admissible.
- 5.4 पुनःविनियोजित अधिकारी किसी भी भत्ते (एचआरए, सीसीए, टीए आदि) के लिए हकदार नहीं होगा । Re-engaged official shall not be entitled for any allowances (HRA, CCA, TA, etc.)
- 5.5 पुनःविनियोजित अधिकारी पुनःविनियोजन की अवधि के लिए जीपीएफ, ग्रेच्यूटी आदि के लिए पात्र नहीं होंगे । Re-engaged officials will not be entitled for contributing to GPF, gratuity, etc. for the period of re-engagement.
- 5.6 कार्यालय आने-जाने के लिए कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।
No transport facility will be provided for commuting to office.

- 6) कार्य का स्थान विपप के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
The place of work will be decided by the Competent Authority in RMP.
- 7) परामर्शदाताओं को सभी कार्य दिवसों में प्रतिदिन 08 घंटे 30 मिनट कार्य करना होगा ।
The Consultants need to perform the duties for 08 hrs. 30 minutes per day on all working days.
- 8) इस परियोजना को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है ।
This Project has the right to reject any application without assigning any reason.
- 9) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **20.06.2022** है ।
Last date of receipt of application is **20.06.2022**.
- 10) आवेदन डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित पते पर अग्रेषित किए जा सकते हैं । The application can be forwarded by Post/by Hand in sealed envelope to:

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer,
विरल पदार्थ परियोजना Rare Materials Project,
पोस्ट बैग सं. 1 येलवाल (पोस्ट) Post Bag No.1, Yelwal (PO),
मैसूरु Mysuru - 571 130,
कर्नाटक KARNATAKA

ताकि दिनांक **20.06.2022** या उससे पहले पहुँच सके so as to reach on or before **20.06.2022**.

(अनुलग्नक-I) Annexure-I : संदर्भ की निबंधने Terms of Reference (टीओआर ToR)

(अनुलग्नक-II) Annexure-II : आवेदन का प्रारूप Format of Application

संदर्भ की निबंधनें (टीओआर) TERMS OF REFERENCE (ToR)

कुल चिन्हित पदें Total Posts identified - 04 posts

टीओआर-I (1 पद) : ToR-I (1 post):

परामर्शदाता से स्थापना संबंधित मामलों में अनुभव, कंप्यूटर की पर्याप्त जानकारी तथा सेवा पुस्तिका रखरखाव में पूर्ण जानकारी की अपेक्षा है। कार्य में छुट्टी खाता पुस्तिका और सेवा पुस्तिकाओं में डाटा अद्यतन करना शामिल है। एक कार्य दिवस में कम से कम 30 सेवा पुस्तिकाएं अद्यतन करना अपेक्षित है। कार्य में सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन और पुराने रिकार्ड की छंटनी भी शामिल है। The consultant is expected to have experience in establishment matters, adequate computer knowledge and thorough knowledge in maintenance of Service books. The work involves updating of Leave Account Book and data in Service Book. A minimum of 30 service books is required to be updated in a working day. The work also involves verification of Service books and weeding out of old records.

टीओआर-II (1 पद) ToR-II (1 post):

परामर्शदाता से सीएचएसएस संबंधित नियमों में कार्यसाधक ज्ञान और चिकित्सा बिलों/दावों के प्रक्रमण में अनुभव अपेक्षित है। कार्य में लाभार्थियों/अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का प्रक्रमण शामिल है। कार्य में लगभग 6000 सीएचएसएस लाभार्थियों के डाटा का स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (एचआईएस) में अद्यतन भी शामिल है। The consultant is expected to have working knowledge in CHSS Rules and experience in processing of medical bills/claims. The work involves processing of medical bills submitted by the beneficiaries/hospitals/diagnostic centres for reimbursement. The work also involves updating the data of around 6000 CHSS beneficiaries in the Health Information System (HIS).

टीओआर-III (1 पद) ToR-III (1 post):

परामर्शदाता से बिलों के प्रक्रमण में अनुभव तथा प्रशासन एवं लेखा में कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित है। कार्य में अस्थाई अग्रिम बिलों, अग्रदाय बिलों, विभिन्न कार्यों एवं ठेकाओं से संबंधित आरए बिलों का प्रक्रमण शामिल है। कार्य में दस्तावेजों की संविक्षा और बिलों की संस्तुति/आगे बढ़ाना भी शामिल है। The consultant is expected to have experience in processing of bills and working knowledge in administration and accounts. Work involves processing of temporary advance bills, imprest bills, RA bills related to various Works and Contracts. Also, work involves scrutiny of the documents and recommending/passing of bills.

टीओआर-IV (1 पद) ToR-IV (1 post):

परामर्शदाता से लेखा में अनुभव अपेक्षित है। कार्य में दस्तावेजों की संविक्षा, क्रय आदेशों का प्रक्रमण, जाँच और संस्तुति, स्थानीय क्रय दावों के भुगतान संबंधित बिलों को आगे बढ़ाना शामिल है। कार्य में कार्यादेश प्रारूप का पूर्व-लेखापरीक्षा, विभिन्न प्रभागों से प्राप्त कार्य बिलों का प्रक्रमण, बिलों में कमियों को प्राधिकारियों की सूचना में लाना और यदि कार्य नियमों के अनुसार संगत है, तो बिलों के भुगतान हेतु संस्तुति आगे बढ़ाना शामिल है। The consultant is expected to have experience in Accounts. The work involves scrutiny of documents, processing of Purchase Orders, checking and recommending, passing of the bills for payment in respect of local purchase claims. The work involves pre-audit of draft work order, processing the work bills received from various divisions, bring to notice of authorities about deficiencies in the bills and recommend the passing of bills for payment, if in order as per the work rules.